भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. MM/17/2017/STGMP/DEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांक 24.08.2017

सेवा में

1. गृह सचिव,
गृह विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
वल्लव भवन, भोपाल,
(मध्य प्रदेश)

2. पुलिस महानिदेशक,
पुलिस मुख्यालय,
चौथा तल, नया भवन,
जहागीराबाद, भोपाल,
(मध्य प्रदेश)

विषयः जिला श्योपुर से भोपाल तक पद यात्रा करने व राजभवन के समक्ष अनिश्चित कालीन धरने पर बैठने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में श्री मुकेश मल्होत्रा एवं अन्य, सहरिया, बैगा एवं भारिया, अधिकार संयुक्त मोर्चा (मध्य प्रदेश) जिला इकाई–श्योपुर, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 11.07.2017 के अभ्यावेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 17/08/2017 को आयोग में हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय

(एस.पी.मीना)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

श्री मुकेश मल्होत्रा एवं अन्य,
सहरिया, बैगा एवं भारिया, अधिकार संयुक्त मोर्चा (मध्य प्रदेष)
पुलिस थाने के पास, कराहल, जिला–श्योपुर,
(मध्य प्रदेश) दूरभाष नम्बर– 08120795491

SSA, NIC, MCST

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- MM/17/2017/STGMP/DEOTH/RU-III)

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2017 के लिए आदिम जनजातियों के आवेदन पर अनियमितता के विरुद्ध जिला श्योपुर से भोपाल तक पद यात्रा करने व राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की अनुमति प्रदान करने के संबंध मे श्री मुकेश मल्होत्रा एवं अन्य, साहारिया, बैगा एवं भारिया, अधिकार संयुक्त मोर्चा (मध्य प्रदेश) जिला इकाई श्योपुर से प्राप्त अभ्यावेदन के सन्दर्भ में सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 17.08.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री मुकेश मल्होत्रा एवं अन्य, साहारिया, बैगा एवं भारिया, अधिकार संयुक्त मोर्चा (मध्य प्रदेश) जिला इकाई श्योपुर ने दिनांक 11.07.2017 को आयोग मे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2017 के लिए आदिम जनजातियों के आवेदन पर अनियमितता के विरुद्ध जिला श्योपुर से भोपाल तक पद यात्रा करने व राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की अनुमति प्रदान करने के संबंध मे अभ्यावेदन दिया था।
2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, विगत दिनों पुलिस विभाग मध्य प्रदेश द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल के माध्यम से पुलिस विभाग मे आरक्षकों की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमे मध्य प्रदेश के पात्र युवकों से

आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। पहले विज्ञापन मे आवेदन सीधे विभाग को भेजना था जिसे बाद मे बदलकर औनलाइन कर दिया गया। इसके लिए पर्याप्त समय नही दिया गया तथा इसके लिए भारिया, बैगा और साहारिया जनजातियो को परीक्षा शुल्क मे राहत भी नही दी गई।

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात गृह सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश को दिनांक 18.07.2017 को नोटिस जारी कर सात दिन के अंदर सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्यवाई से संबन्धित सूचना मांगी। आयोग ने दिनांक 25.07.2017 को संस्मरण नोटिस जारी कर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार से सात दिन के अंदर जवाब मांगा। नोटिस के जावाब अप्राप्त होने के कारण और मामले की गंभीरता को देखते हुये आयोग ने 04.08.2017 को सीटिंग नोटिस जारी कर आयोग में चर्चा के लिए गृह सचिव, गृह विभाग, मध्य प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश को दिनांक 17.08.2017 को आयोग में बुलाया।

4. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश की ओर से प्राधिकार पत्र के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोग मे चर्चा के लिए उपस्थित हुई।

5. आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से जानकारी मांगते हुये पूछा कि:-

(i) इस प्रकरण मे विज्ञापन दो बार निकाले गए, पहले विज्ञापन मे व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आवेदन चाहे गए थे। इस विज्ञापन मे बैगा, सहारिया व भारिया समूह के अभ्यर्थियों को सीधे विभाग मे आवेदन करने का लेख किया गया था। दूसरे विज्ञापन मे कहा गया कि आवेदन औनलाइन करना है। साथ ही निर्धारित शुल्क भी देना है। ऐसा क्यों किया गया जबकि गांवों मे रहने वाले इन आदिवासियों के पास औनलाइन आवेदन के पर्याप्त साधन नही है।

(ii) पुलिस विभाग ने विभाग को प्राप्त करीब 3000 अभ्यर्थियों के आवेदन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को क्यों प्रेषित कर दिया जबकि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2017 के विज्ञापन के अध्याय 2 के खंड बी की कंडिका 2.35 के क्रम

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संख्या 1 मे यह उल्लिखित है कि- **मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 मे उल्लिखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, साहारिया तथा भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता को पूर्ण करते है, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग मे विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक आर्ड कौपी मे समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबन्धित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा।**

(iii) क्या औनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया गया और उन्हे इसके विषय मे व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया?

(iv) आदिम जनजाति वर्ग के छात्रों से भी परीक्षा शुल्क क्यों वसूला गया?

(v) आयोग ने दिनांक 02.08.2017 और दिनांक 11.01.2010 को प्रकाशित मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) पर ध्यान आकृष्ट कराया जिसमें उल्लिखित है कि :-

" क्र एफ 6-1-2002 मा प्र - एफ-मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये, राज्य सरकार एतद द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों मे, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात:-

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4-ख. आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध - यदि आवेदक श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की साहारिया आदिम जनजाति, जिला मांडला, डिंड़ौरी, शहडौल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला, शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालक) के लिए आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहर्ता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।"

(vi) आयोग ने व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2017 के विज्ञापन का भी परीक्षण किया और पाया कि प्रकाशित विज्ञापन के अध्याय 2 के खंड बी की कंडिका 2.35 के क्रम संख्या 1 मे यह उल्लिखित है कि-

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 मे उल्लिखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के पालन स्वरूप मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, साहारिया तथा भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता को पूर्ण करते है, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग मे विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक आर्ड कौपी मे समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु संबन्धित विभाग को प्रेषित करेंगे। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा।

6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने अवगत कराया कि यह पद कार्यपालिक है और पुलिस नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न करती है। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2017 का विज्ञापन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल ने प्रकाशित किया। जिसके आधार पर पुलिस विभाग को आवेदन मिले। पुनः प्राप्त आवेदनों को पुलिस विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को अग्रिम भर्ती कार्यवाही के लिए प्रेषित किया। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के पत्र दिनांक 11.07.2017 द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया गया कि इस परीक्षा के लिए औनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2017 से 07.07.2017 तक भरे जा रहे थे। विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 07.07.2017 के माध्यम से अवगत कराया गया कि विभाग के सभी पद कार्यपालिक है अतः सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार कार्यपालिक पदों पर बैगा, साहारिया, भारिया अभ्यर्थियों द्वारा सीधी भर्ती हेतु आवेदन सीधे विभाग को किए गए हैं जो त्रुटिपूर्ण है। अतः सीधी भर्ती के लिए विभाग को औफ़लाइन भेजे गए सभी आवेदन पत्र अमान्य किए जाते है। इसी पत्र में यह भी जाहिर किया गया कि बैगा, साहारिया तथा भारिया अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे अनुसूचित जनजाति के पदों के विरुद्ध निर्धारित परीक्षा शुल्क (एक प्रश्न पत्र हेतु 250/- रुपये एवं दो प्रश्न पत्र हेतु 350/- रुपए) जमा कर औनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मे इस हेतु आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 08.07.2017 से 11.07.2017 की गई थी किन्तु सभी बैगा, साहारिया तथा भारिया अभ्यर्थी द्वारा यह नही भरा जा सका। अतः केवल बैगा, साहारिया तथा भारिया अभ्यर्थी के लिए इसके आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 12.07.2017 से 22.07.2017 तक बढाई गई। आवेदन में संशोधन की तिथि भी 12.07.2017 से 25.07.2017 तक बढाई गई। सभी आवेदकों तक इसकी सूचना एसएमएस /पत्र एवं विज्ञापन के माध्यम से दी गई। साथ ही उक्त आशय का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार का निवेदन पुलिस अधीक्षक जिला- श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर तथा छिंदवाड़ा से किया गया है। पुलिस विभाग ने व्यावसायिक परीक्षा मण्डल वैसे त्रुटिपूर्ण बताने के पश्चात सभी पुलिस अधीक्षक को सलाह दिया कि इन पदों की भर्ती के लिए औनलाइन आवेदन लें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. आयोग ने मामले का परीक्षण कर पाया कि इस मामले मे पुलिस विभाग द्वारा पदों को भरने के लिए भेजे गए विज्ञापन तथा प्राप्त आवेदनो को औनलाइन करने का दुबारा विज्ञापन निकाला, आदिम जनजातियों के औफ़लाइन प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही करना, व्यावसायिक चयन मण्डल द्वारा इस विज्ञापन और प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण कहना तथा पूर्व के विज्ञापन के आधार पर औफ़लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को शामिल नही कर उनके आवेदन को अमान्य करना सही नही है। साथ ही यह आदिम जनजाति अधिनियम और संशोधित उक्त नियम का उल्लंघन है। आयोग ने यह जानकारी मांगी कि क्या व्यावसायिक चयन मण्डल ने यह आश्वस्त किया कि उन्होने अभ्यर्थियों को 19.08.2017 से प्रारम्भ होने वाली चयन परीक्षा और अन्य परीक्षण के लिए सूचना दी है कि उनसे औनलाइन या औफ़लाइन आवेदन प्राप्त हो गए है?

8. आयोग को अभ्यावेदकों ने अवगत कराया कि औंलाइन आवेदन के लिए उनसे 250/350 रुपये शुल्क व्यावसायिक चयन मण्डल द्वारा ली जा रही है। साथ ही जहां से वे आवेदन कर रहे हैं वहाँ आवेदन करने के लिए किसी साइबर कैफे या अन्य दुकानों द्वारा 800-1000 रुपये तक वसूला जा रहा है। इस कारण करीब 3000 अभ्यर्थी औनलाइन आवेदन करने मे असमर्थ है। इस अन्याय के खिलाफ वे 17.08.2017 को भोपाल के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं।

9. आयोग ने यह पाया कि आदिम जनजाति अधिनियम और संशोधित उक्त नियम मे यह स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि "**आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध - यदि आवेदक श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की साहारिया आदिम जनजाति, जिला मांडला, डिंड़ौरी, शहडौल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला, शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालक) के लिए आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहर्ता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।**" आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अर्हता प्राप्त होने के बावजूद शासन के इन नियमों की अनदेखी कर पुलिस विभाग के द्वारा अनियमितता बरती जा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रही है। साथ ही मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और व्यावसायिक चयन मण्डल द्वारा भर्तियों मे नियमों का पालन नही कर आदिम जनजातियों की सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को नजरंदाज करना सही प्रतीत नही होता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने ऐसा कोई दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जो यह प्रमाणित कर सके कि सामान्य प्राशासन विभाग के 02.08.2017 और दिनांक 11.01.2010 को प्रकाशित मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) से पुलिस की चयन प्रक्रिया मे इस आधार पर छूट मिली है कि विज्ञापित सभी पद कार्यपालिक है। अतः आयोग यह सलाह देती है कि मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और व्यावसायिक चयन मण्डल तत्काल भारिया, सहारिया और बैगा जनजातियों के करीब 3000 आवेदको को जिन्होने पुलिस विभाग को सीधे औफ़लाइन आवेदन किया था को बुलाकर नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया मे शामिल करें। तथा की गई कार्यवाही से 7 दिन के अंदर आयोग को सूचित करें। अन्यथा आयोग बाध्य होकर धारा 338 ए की शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.09.2017 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश, निदेशक, व्यावसायिक चयन मण्डल तथा पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होने का नोटिस जारी करेगा.

10. आयोग यह भी जानना चाहता है कि आदिम जनजातियों और अन्य जनजातियों का बैकलौग कितना है। आयोग इसका सम्पूर्ण विवरण और रोस्टर का भी परीक्षण करना चाहता है। अतएव यह विवरण आयोग को 7 दिन के अंदर भिजवाया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- MM/17/2017/STGMP/DEOTH/RU-III)

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक (कंप्यूटर)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा 2017 के लिए आदिम जनजातियों के आवेदन पर अनियमितता के विरुद्ध जिला श्योपुर से भोपाल तक पद यात्रा करने व राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की अनुमति प्रदान करने के संबंध मे श्री मुकेश मल्होत्रा एवं अन्य, साहारिया, बैगा एवं भारिया, अधिकार संयुक्त मोर्चा (मध्य प्रदेश) जिला इकाई श्योपुर के मामले मे दिनांक 17.08.2017 को आयोग में सम्पन्न हुई बैठक मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्रीमती के॰ डी॰ बंसोर, निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी

1. प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक